

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञाप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मची कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विपरीत राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता: पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे दिये निर्णय के अनुसार से निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, को 09 अक्टूबर 2021 सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4837-RUDRA POLYTECHNIC, GAURA, AZAMGARH.

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	CIVIL ENGINEERING	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1992, सीमेन्टर विनियमसूची-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा वृत्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित वृत्त तीन वर्षीय शर्तों का पालन करेगी हेतु रु0 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय मरम्भी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष वृत्त ही प्रत्येक छात्र/ छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/ छात्राओं से वृत्त के सम्बन्ध में समय-समय पर धारण द्वारा निर्मित किसे जाने वाले वाक्यांश प्रशसनी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की मरम्भ-द्वय पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ0प0) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमसूची-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गम वास्तुशिल्प के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित किया जाएगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता (आवश्यक होगा)।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बतये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/सामन्देशों/निर्देशों एवं विदेशक प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा बतये गये विधानों/नियमनों/आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ द्विजोभा इन फार्मों पर प्रस्तावना की संख्याएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उपायवाहक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दाखल किया जाता है तथा दाखल वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपुति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ द्विजोभा इन फार्मों पर प्रस्तावना संतुष्ट करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अंतर्निहित प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तियों के सम्बन्ध में अपना संस्था का पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गम नवीनत्व आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुष्टि भूमि, स्टाफ, बाल-सभा, उपकरण, प्राण किया जाने वाला गुणक, छात्रावास सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ चैंगिंग रोकने के साक्ष्य में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित प्रस्तावना को पारसे जाने हेतु निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रस्तावना के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निर्देशन वीरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के समक्षानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

रचित

सू०सं०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रकृतिवि-

प्रधानाचार्य/निदेशक RUDRA POLYTECHNIC, GAURA, AZAMGARH.



(सुनील कुमार शोभराज)

सचिव

कार्यालय,सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ, दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय शेष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैसी कार्यालय और इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2022-23 हेतु विद्योमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उत्तर) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में निर्मित द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघातित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक मा विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम :- 4837-RUDRA POLYTECHNIC			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशुद्ध विनियमावली-2016

तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन सौ बीस हजार पचास रुपये (₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष) की वर्षीय कामेसी परतकाम हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय परतकामों (दो वर्षीय कामेसी परतकाम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 8-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे। और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सीएम निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु सीएस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो सीएस को नवीनतम की लागू होगी।

- ✓ संस्था में समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशिका, प्राविधिक शिक्षा उपाय, संपुल प्रवेश परीक्षा परिषद उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बनये गये नियमों, विधियों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुल प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई दाव दायर किया जाता है तथा दाव दाव के संबंध में ना, न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संपुल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राय विद्या जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षा/कक्षा उपलब्ध कराने के साथ लैंगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संस्थागत परतकाम की दरावे जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परतकाम के संघर्ष में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्थापित निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा सत्रों का अस्तित्व किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

8/30/22, 9:27 AM

पुणसं- प्राशिपपरिषद संख्यता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठित

प्रधानाचार्यनिदेशाळ, RUORA POLYTECHNIC



(एफओआरओ खान)

सचिव

